संचालनालय स्वास्थ सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 07/10/2013

क्र./4/रा.बी.सहा.नि./13/386

प्रति,

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश.
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश.

विषयः— राज्य बीमारी सहायता निधि उपचार योजना अंतर्गत सहायता राशि प्रदाय करने के संबंध में।

—00—

विषयान्तर्गत में आपको अवगत है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के जांच—उपचार हेतु राज्य के अंदर व राज्य के बाहर की चिकित्सा संस्थाओं/अस्पतालों को मान्यता प्रदान की है।

इन्हीं मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में से राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत चिन्हित 20 गंभीर बीमारियों के उपचार/आपरेशन हेतु भी चिकित्सा संस्थाओं/अस्पतालों को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत चिन्हित 20 बीमारियों में से जिन बीमारियों के उपचार/ऑपरेशन की सुविधाऐं यदि शासकीय चिकित्सा संस्थाओं, जिला अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों आदि में उपलब्ध हो तो, राज्य बीमारी सहायता निधि के हितग्राही रोगियों को उपचार/ऑपरेशन हेतु इन्हीं शासकीय संस्थाओं में भेजे जावे। जो उपचार/ऑपरेशन सुविधाऐं शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध है, लेकिन उक्त संस्था किसी कारण, रोगी का उपचार/ऑपरेशन तत्काल करने में असमर्थ हो तो, इस आशय का प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) संबंधित संस्था से लेने के बाद संबंधित रोगी को अन्य निजी चिकित्सा संस्थाओं में उपचार/ऑपरेशन हेतु भेजा जावे। **आकस्मिकता में रोगी के हित में, रोगी को उपचार/आपरेशन हेतु निकट की, योजना अंतर्गत शासकीय मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा संस्था में भेजा जा सकता है।**

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनके सदस्य ही इस योजना के पात्र है तथा एक सदस्य को उसके जीवन काल में उपचार हेतु केवल एक ही बार चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत शासन द्वारा बीमारियों के उपचार हेतु पैकेज निर्धारित किये है। तदानुसार ही उपचार राशि स्वीकृत की जावें। बिना पैकेज वाली बीमारियों हेतु उपचार प्राक्कलन के आधार पर एवं अधिकतम सीमा रू. 2.00 लाख तक की स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः उपरोक्त उल्लेखित योजनान्तर्गत के प्रावधानों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
राज्य बीमारी सहायता निधि
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)
भोपाल,दिनांक 07/10/2013

पृ.क्र./4/रा.बी.सहा.नि./13/387

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र।
3. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
4. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

संचालक
राज्य बीमारी सहायता निधि
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (म.प्र.)